

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, उ०प्र०।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
जिला पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ०प्र०।

पत्रांक:-निदे०(नियो०एव०ब०)/कैम्प/2018/1034-36

लखनऊ, दिनांक 28.11.2018

विषय : जनहित अधिनियम के अन्तर्गत चयनित सेवाओं हेतु की जाने वाली वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनहित अधिनियम के अन्तर्गत चयनित सेवाओं की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 04.12.2018 को समय 01:30 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक की जाएगी। जिसमें समस्त मण्डलों के मण्डलीय अपर निदेशक, समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा।

कृपया उक्त वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु निम्न सूचनाओं सहित स्वयं सरामय प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें:-

1. जनहित पोर्टल से प्राप्त/निरतारित आवेदनों की स्थिति।
2. अपर निदेशक द्वारा जनहित के सम्बन्ध में की जा रही मासिक समीक्षा।
3. कुम्भ मेला- मानव संसाधन की प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में सभी सूचनाओं सहित।
4. जल एवं वायु प्रदूषण:-

a. मा० न्यायमूर्ति श्री डी०पी० सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा दिये गये निदेश के सम्बन्ध में जिला सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, फैजाबाद, बस्ती, कुशीनगर, आगरा, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़।

b. पी०आई०एल० हिन्दन नदी-बागपत, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर।

c. ताज ट्रेपिजियम पी०आई०एल-आगरा, फर्रुखाबाद, एटा, गथुरा, भरतनगर, फिरोजाबाद।

d. वायु प्रदूषण- एन०सी०आर० जिले।

भारतीय



महानिदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

तददिनांक,

पत्रांक-17फ/नि०नि०ब०/कैम्प/2018/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. डा० नीरज शुक्ला, विशेष सचिव, उ०प्र० शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एल०सी०, लखनऊ।
3. श्री दीवान सिंह, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, (एन०आई०सी०), प्रथम तल योजना भवन, लखनऊ।
4. एस०आई०ओ०, (एन०आई०सी०), प्रथम तल योजना भवन, लखनऊ।

निदेशक (नियोजना एवं बजट)